E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बांका)–11/2021..1613 पटना, दिनांकः–21/10/2024

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, बांका के पत्रांक 886 दिनांक 20.07.2023 द्वारा श्रीमती रश्मि कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN01086) के विरूद्ध विशेष सर्वेक्षण कार्यो के प्रति उदासीनता, लापरवाही बरतने, वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने के साथ आवेदन भेजकर लगातार अनुपस्थित रहने संबंधी कतिपय आरोप लगाते हुए इनका संविदा नियोजन समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रीमती रश्मि कुमारी से भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 8179 दिनांक 27.09.2023 द्वारा 03 दिनों के अन्दर इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी है कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संविदा नियोजन समाप्ति संबंधी एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने के कारण एक अवसर देते हुए निदेशालय पत्रांक 8758 दिनांक 03.11.2023 द्वारा पुनः सशर्त्त स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

इसी क्रम में बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 616 दिनांक 15.06.2024 द्वारा पुनः यह प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती रश्मि कुमारी दिनांक 07.05.2023 से लगातार अनुपस्थित हैं। साथ ही श्री रश्मि कुमारी द्वारा दिनांक 10.06.2024 से त्याग पत्र समर्पित किया गया है, जिसपर बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति की अनुशंसा भेजी गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप/अनुशंसा एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया है कि श्रीमती रश्मि कुमारी द्वारा मात्र 721 खेसरों वाले राजस्व ग्राम के खानापुरी कार्य में 237 दिन लगाया गया है एवं 39 दिनों में मात्र 156 खेसरा का ही प्रपत्र–6 इंट्री किया गया है। साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारी के प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित है कि श्रीमती रश्मि कुमारी द्वारा सर्वेक्षण कार्य में रूचि न लेकर अपने व्यक्तिगत कार्य को प्राथमिकता दी गयी है, जो सरकारी कार्य कर रहे कर्मियों के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 616 दिनांक 15.06.2024 द्वारा पुनः प्रतिवेदन दिया गया है कि ये दिनांक 07.05.2023 से लगातार अनुपस्थित हैं एवं अनुपस्थित अवधि में ही इनके द्वारा दिनांक 10.06.2024 से त्याग पत्र स्वीकृत संबंधी पत्र पर बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी के प्रतिवेदनानुसार ये पिछले 01 वर्ष से भी अधिक अवधि से अनाधिकृत अनुपस्थित हैं, जिस संबंध में इन्हें अपना पक्ष रखने का निदेशालय स्तर पर दो बार अवसर भी दिया गया है, परन्तु इनके द्वारा बार–बार आदेश की अवहेलना की गयी है, जो इनकी मनमानी, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता को परिलक्षित करता है। ऐसी स्थिति में इनके त्याग पत्र स्वीकृति पर विचार किया जाना समुचित नहीं होगा।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से सभी संविदा कर्मी अवगत हैं, ऐसी स्थिति में इनका इतनी लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहने से इन्हें आवंटित मौजा का कार्य प्रभावित हुआ है, यदि इनका त्याग पत्र स्वीकृति संबंधी अनुरोध को स्वीकार किया जाता है, तो यह इस तरह की प्रवृति को बढ़ावा देने जैसा होगा जिसका प्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर भी पड़ेगा, इस परिपेक्ष्य में प्रशासनिक दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही उचित होगा।

क्र0 पृ0उ0

अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधित नियमावली, 2022 के कंडिका–8 के आलोक में श्रीमती रश्मि कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN01086) का संविदा नियोजन इनकी अनुपस्थिति की तिथि दिनांक 07.05.2023 से समाप्त किया जाता है।

18/10

(जे0 प्रियदर्शिनी)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बांका)–11/2021 1413 **पटना, दिनांक** :– 21/10/2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती रश्मि कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN01086), बंदोबस्त कार्यालय, बांका को सूचनार्थ प्रेषित।

18/10

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बांका)–11/2021 1413 **पटना, दिनांक** :– 21/10/2024

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/10

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बांका)–11/2021 1413 **पटना, दिनांक** :– 21/10/2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत इनकी व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/10

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप